

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

फ़ाईल नंबर : UPFS/2026/187032/MZP/MIRZAPUR/1993/CFO

दिनांक : 03-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL पता 422, 423,424, 425,VILL- DURGAJI ROAD, CHUNAR,MIRZAPUR तहसील - CHUNAR प्लॉट एरिया 6200 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3588.93 (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.2 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 11-02-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KUSUM SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 14-02-2026 से 13-02-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : As per report of FSO Fire Fighting equipment installed. Following are important points:

1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा।
 2. निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य है।
 3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
 4. शासनादेश संख्या: 18/छ-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।
- note- भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- note- Height of the building is mistakenly written as 0, Actual height is 10.2mtr

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SAURABH KUMAR SINGH

B2728734EECED67046988AE13FB38722AC3907C4

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-02-2026

स्थान : MIRZAPUR

14-02-2026